कैबिनेट मिशन योजना
(The Cabinet Mission Plan)

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद इंगलैंड में आम निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में मजदूर दल को पहली बार बहुमत मिला। मजदूर दल भारत को स्वतंत्र करने के लिए पहले से ही वचनबद्ध था। चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बना और लार्ड एमरी के स्थान पर पेथिक लॉरेंस भारत सचिव हुआ।

15 मार्च को इंगलैंड के प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया गया और सरकार का यह निश्चय स्पष्ट कर दिया गया कि वह भारतीयों की स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्ण सहायक होगी एवं बहुसंख्यक लोगों की उन्नति का ध्यान रखकर अल्पसंख्यकों को 'वीटो' की शक्ति नहीं देगी; यद्यपि उसे और इसकी सरकार को अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान है। एटली की घोषणा से भारतीयों के मन में नयी आशा का संचार हुआ। ऐसा सोचा जाने लगा कि मुस्लिम लीग के पास से वीटो का अधिकार सरकार लौटा लेगी। परंतु उनकी यह आशा अपूर्ण रही और पाकिस्तान

की माँग स्वीकृत हुए बिना भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकी।

कैबिनेट मिशन :

भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटेन संसद का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया गया। 19 फरवरी 1946 ई० को एटली की घोषणा के अनुसार ब्रिटेन मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों - भारतमंत्री लार्ड पैथिक लॉरेंस, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और फर्स्ट लार्ड ऑफ एडमिरिल्टी ए० वी० एलेक्जेण्डर को भारत भेजने का निर्णय लिया गया। यह कैबिनेट मिशन भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने में वायसराय लार्ड वेवेल की सहायता करना। कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने लार्ड वेवेल और भारतीय राजनेताओं से मिलकर एक योजना प्रकाशित की जिसे "कैबिनेट मिशन योजना" कहते हैं।

कैबिनेट मिशन के उद्देश्य

कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था "भारतीय जनमत के नेताओं के

साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को जल्दी सम्भव बनाना।"

कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने तथा अन्तःकालीन अस्थायी सरकार की स्थापना भी अपना लक्ष्य रखा था। कैबिनेट मिशन भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के उद्देश्य से आयी थी।

कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने सबसे पहले वायसराय और प्रान्तीय गवर्नरों के साथ बात-चीत की और तब कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दलों के प्रतिनिधियों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण प्रथम दौर की वार्ता असफल रही।

कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें :

16 मई, 1946 ई० को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित की गई। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान की रूपरेखा में निम्नलिखित बातें मुख्य रूप से उल्लेखनीय थी :

संविधान संबंधी योजना :

(1) ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर

एक भारतीय संघ के निर्माण की बात स्वीकार की गई। भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था से सम्बन्धित विभाग रहेंगे तथा इसके लिए आवश्यक धन जुटाने की क्षमता भी संघ को होनी चाहिए।

(ii) संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। अन्य सभी विषय प्रांतों के अधीन रहेंगे।

(iii) प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन ~~समूह~~ सम्बन्धी समूह बनाएँ। भारत के विभिन्न प्रांतों को तीन समूहों में बांटा गया — (क) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्यप्रांत, बिहार और उड़ीसा
(ख) उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत, पंजाब और सिंध;
(ग) बंगाल और असम। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय के सम्बन्ध में निर्णय ले और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। प्रत्येक समूह में एक कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका का प्रावधान था।

देशी राज्यों का प्रश्न; (iv) देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएँगे उन

पर देशी राज्यों का ही अधिकार रहेगा।

(v) संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम सम्प्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय देशी राज्य स्वेच्छानुसार करेंगे।

(vi) योजना के कार्यान्वित होने के दस वर्ष बाद अथवा प्रत्येक दस वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है।

संविधान - निर्माण से सम्बन्धित योजना :

(क) प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के निर्वाचन संविधान सभा के लिए होगा।

(ख) प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा

(ग) अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त कर दी गई।

(घ) रियासतों को प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर दिया गया। तदनुसार देशी रियासतों के 93 और ब्रिटिश भारत के 292 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे।

(ङ) संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हो और प्रारम्भिक बैठक में अवध एवं अन्य

प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाए।

(ब) प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अन्तर्गत थी। प्रत्येक समूह अपने संविधान के सम्बन्ध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा।

(द) केन्द्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। केन्द्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय उनकी अवहेलना करेगा।

(ज) इंगलैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हों उन्हें तय करने के लिए भारत और इंगलैंड के बीच एक संधि होगी।

कैबिनेट मिशन योजना के गुण :

इस योजना के निम्नलिखित गुण थे :

(1) सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अव्यवहारिक मानकर योजना में भारतीय की राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखा गया। इसमें संविधान सभा का निर्माण लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर करने की व्यवस्था की और प्रत्येक सम्प्रदाय को जनसंख्या के आधार

पर ध्यान दिया गया था।

2) संविधान सभा के सदस्य भारतीय होंगे और यूरोपियन एवं ब्रिटिश हितों की रक्षा करने वाले प्रतिनिधियों का इसमें कोई स्थान नहीं था।

3) अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल सिखों और मुसलमानों तक सीमित रखा गया।

4) कैबिनेट मिशन योजना का सबसे गुण था कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के हितों के बीच एक समान मार्ग निकालने का प्रयास किया गया था। इसमें अंतरिम सरकार की स्थापना कर समस्त उत्तर-दायित्व भारतीयों को सौंप देने की व्यवस्था थी।

5) संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता दी गई थी। भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि वे राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वयं स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना भारतीय स्वतंत्रता सम्बन्धी उलझनों का एक आखिरी प्रयास था।

कैबिनेट मिशन योजना के दोष :

कैबिनेट मिशन योजना में निम्नलिखित दोष थे

(1) सर्वप्रथम इस योजना में केन्द्र का स्वरूप दुर्बल था। केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिरक्षा, परराष्ट्र

नीति और संचार-व्यवस्था केवल तीन विषय रखे गए थे। अन्य विषयों को प्रांतों के अधीन रखा गया था। विभाजन की यह प्रक्रिया केन्द्र को निर्बल कर देती थी।

(ii) इस योजना का सबसे बड़ा दोष प्रांतों के समूह का निर्माण था। प्रांतों का खण्ड बनाना अथवा ग्रुप के संविधान को मानना राष्ट्रीय एकता के लिए घातक था। कांग्रेस ने प्रांतों का खंड पसंद नहीं किया। मुस्लिम लीग के अनुसार प्रांतों को समूह से अलग रहने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार खण्ड या समूह के निर्माण का विरोध स्वाभाविक था।

(iii) प्रांतीय समूह को संघ से संबंध-विच्छेद या नया संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त था। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा तीन समूहों का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण में सहायक हुआ।

(iv) योजनानुसार पहले प्रांतों को संविधान बनाने की सत्ता दी गई और तब समूह का संविधान बनता और सबसे अंत में संघ के संविधान का निर्माण होता। इस प्रक्रिया से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि इसमें संघ को तृतीय स्थान पर रखा गया था।

(v) इस योजना में देशी राज्यों को कुछ अनुचित अधिकार दिए गए। संविधान बनाने के बाद सरकार देशी राज्यों की सम्प्रभुता को मान्यता देती और वे स्वेच्छानुसार भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा समझौता का अधिकार रखते। राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार देकर ब्रिटिश सरकार भारत को टुकड़ों में बाँटने का षड्यंत्र कर रही थी। देशी राज्यों की जनता को अधिकार देने के लिए एक मध्यस्थता समिति की स्थापना की गई। यह समिति जनता के अधिकारों की जाँच करती।

vi) कैबिनेट मिशन योजना को अवैज्ञानिक और अतार्किक कहा गया है। इससे प्रांतों का खण्ड मुसलमानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। स्वाभाविक रूप से अन्य सम्प्रदाय इससे सन्तुष्ट नहीं थी।

(vii) संविधान सभा के अधिकार की सीमाएँ सीमित थी। वह कैबिनेट योजना के अनुसार काम कर रही थी और ब्रिटिश सरकार कुछ शर्तें पूरी करने पर ही इस संविधान को लागू करती।

(viii) अंतरिम सरकार की शक्तियाँ निश्चित नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में समान महत्व दिया गया। कांग्रेस के छह और मुस्लिम लीग के पाँच सदस्य अंतरि

सरकार में थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि योजना में मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक स्थान दिया गया। हिन्दू महासभा को कोई स्थान नहीं दिया गया।

(ix) इस योजना में उत्तर पश्चिम सीमाप्रांत, असम और सिखों के साथ अन्याय किया गया। सिखों के हितों की उपेक्षा की गई और योजना द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की सम्भावना को अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर लिया गया।

14 June 1946 ई० को कांग्रेस द्वारा योजना की स्वीकृति दी गई और मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया। सिखों ने इसका विरोध किया, किन्तु कांग्रेस और मौलाना के प्रयास से उन्होंने ने भी योजना स्वीकार कर ली।

कैबिनेट मिशन योजना के अच्छे और बुरे पक्ष की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इस योजना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर तथा संविधान सभा की सर्वप्रभुता स्वीकार इस योजना ने भारत को स्वतंत्रता के दरवाजे तक पहुंचाने में सहायक का काम किया था। लार्ड पैथिक लारेन्स ने कहा था कि " यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में शीघ्र ही काफी सहायक होगी और अब औपनिवेशिक गड़बड़ी और संघर्ष उत्पन्न नहीं होगी।